फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी ......विक्रमसिंह...... बनाम ......लिछमदकंवर...... वगैरह अप्रार्थीगण

मुकदमा नं.23/ 2020

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुये।
20.08.2020	यह प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह, जाली अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट बाबत् तहरीर जारी हो। अप्रार्थीगण जबाबदेही हेतु जरिये सम्मन के तलब हो। पत्रावली दिनांक 08.09.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
8/9/20	वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी सं. 1, 4 to 6 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल रहे। शेष के सम्मन व मौका रिपोर्ट अप्राप्त है। इन्तजार होकर मिसल दिनांक 20/X/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर	
20/X/20	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप. गत आदेश की पालना में मिसल दिनांक 17/11/20 को पेश हो। [signature]	
17/11/20	पक्षकार/पक्षकारान व अधिवक्ता। राजकीय अवकाश। पीठासीन अधिकारी ... अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण ... समक्ष दिनांक 15/12/20 ... पेश करें।	
15/12/20	वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उप. जबाब प्राप्त एवं मौका रिपोर्ट पेश जायल हेतु मिसल दिनांक 12/1/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

12.1.24 पीठासीन ... अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 2.2.24 को पेश करें।

4.2.24 : वकील साक्षी उपस्थित मौका रिपोर्ट बाबत है जवाब प्रस्तुत हेतु समय चाहा जो दिया जाता है। मिसल दिनांक 23.2.24 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

23.2.24 : पत्रावली उपर मत अधिक की पालना में मिसल दिनांक 09.3.24 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

9.3.24 : ~~पत्रावली उपस्थित अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री SKP ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया प्रतिलिपि वकील प्रार्थी को दिलाई गई।~~ मिसल वास्ते ~~आख्यात~~ मौका रिपोर्ट व जवाब आपत्ति बाकाया हेतु दिनांक 23.3.24 को पेश हो।

23.3.24 पत्रावली उपर मत अधिक की पालना हेतु समय चाहा जो न्यायहित में दिया जाता है मिसल दिनांक 6.4.24 को पेश हो।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

6.4.24 ... अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9.4.24 को पेश करें।

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

किस्म प्रकरण : मुकदमा नं.– /2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
09/04/21	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी मी मिटिंग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 20.05.21 को प्रस्तुत करें।	
20/04/21	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता कोरोना लॉकडाउन पीठासीन अधिकारी मी मिटिंग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 05.05.21 को प्रस्तुत करें।	
05/05/21	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता कोरोना लॉकडाउन [illegible] 01.06.21 को [illegible]	
01/6/21	कोरोना लॉकडाउन 15/6/21	
15/6/21	वकुलाम उपर मौका रिपोर्ट कृ.क. + जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाता है मिसल पेश 29/6/21 को पेश हो [signature]	
29/6/21	वकुलाम उपर मौका रिपोर्ट कृ.क. + जवाब आपत्ति हेतु समय चाहा, जो अंतिम रूप से दिया जाता है। मिसल पेश 18/8/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) [illegible]	

18/8/24: वकलाय उपस्थित। जन्म रजिस्टर की प्रगति में मिसल दिनांक: 07/9/24 को पेश हो।

07/9/24: पत्रावली पेश हुई। वकलाय उपस्थित। मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल की गई है। जवाब आपत्ति हेतु समय चाहा जो न्यायहित में दिया जाता है। मिसल दिनांक:- 27/9/24 को पेश हो।

27/9/24: पत्रावली पेश हुई। वकलाय उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1, 4, 5, 6 की ओर से वकील साहब ने जवाब/आपत्ति नहीं पेश करना जाहिर किया है। अतः मिसल में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश होकर शामिल मिसल है। मिसल वास्ते बहस अन्तिम नियत की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। दिनांक: 29/10/24 को पेश हो।

29/10/24: वकलाय उपस्थित। बहस वकलाय सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 24.11.24 को पेश हो।

24.11.21 पत्रावली प्रस्तुत। वकलाय उपस्थित। PBKS 2021 में व्यस्तता के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29.12.21 को पेश हो।

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

किस्म प्रकरण : मुकदमा नं.– /.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
29.12.21	पत्रावली प्रस्तुत। व तुलाप उपस्थित। पत्रावली में बहस सुने हुए बाद्दी समय व्यतीत हो जाने से पत्रावली वास्ते मजीद बहस हेतु दिनांक 8.2.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8–2–22	पक्षकार/पक्षकारान व अभिभाषक पीठासीन अधिकारी मीटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है. इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 11/5/22 को प्रस्तुत करें	
11-5-22	पत्रावली प्रस्तुत। व तुलाप फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में मजीद बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आईन्दा दिनांक 16.05.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.)	
16.5.22	वकील फरीकैन उप। प्रार्थना पत्र में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने अथवा संसाधनों को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। मिसल बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.)	(हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 23/2020

प्रार्थी :–

1. विक्रम सिंह पुत्र देवी सिंह
समस्त जाति–राजपूत, निवासी–धारणा, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. संमदर कवंर पत्नि भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी धारणा तहसील जायल।
2. विनोद पुत्र मूलचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी जायल तहसील जायल।
3. तहसीलदार जायल
4. चान्द कवंर पुत्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी धारणा।
5. भंवर कंवर पुत्री देवी सिह जाति राजपूत निवासी धारणा।
6. लिच्छु कंवर पुत्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी धारणा।

उपस्थित–

1. वकील श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. वकील श्री शिवप्रकाश पाराशर अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : आदेश : : –

दिनांक 11/05/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के व अप्रार्थी सं. 1 व 4 से 6 की खातेदारी का खेत मौजा धारणा के खेत ख.न. 741 रकबा 2.7761 हेक्टेयर आया हुआ है। इस खेत पर काश्त प्रार्थी ही करता है। प्रार्थी के खेत के चिपता दक्षिण में अप्रार्थी 1 संमदर कंवर की खातेदारी का खेत ख.न. 743/889 रकबा 2.7519 हेक्टेयर आया हुआ है। तथा इसके बराबर दक्षिण पूर्व में ख.न. 1162/743 रकबा 1.5783 हेक्टेयर आया हुआ है जों अप्रार्थी सं. 2 विनोद की खातेदारी का है। इस खेत के दक्षिण पूर्वी कोने पर कटाणी मार्ग ख.न. 748 लगता है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए शुरू से ही कटाणी मार्ग ख.न. 748 से चलकर अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी के खेत ख.न. 1162/743 के दक्षिणी पूर्वी कोने से प्रवेश करके पूर्वी माठ के अन्दर पास पास चलकर फिर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी के खेत 743/889 की

16/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पूर्वी माठ के अन्दर पास पास चलकर रास्ता रहा है। तथा प्रार्थी शुरू से ही पूर्वजो के समय से ही इसी रास्ते ही आते जाते रहे है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 का खेत पहले एक ही खेत था तथा दोनो ने ही यह खेताय खरीद किये है। यह खेत पूर्व मे राधाकिसन पुत्र माधुराम ब्रहाम्ण निवासी जायल का था। जिसका ख.न. 743 था अब टुकडे हो जाने से बंट्टा नम्बर पड़ गये है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेतों के पूर्व खातेदार राधाकिसन ने दिनांक 06.09.1991 को प्रार्थी के दादा मोती सिंह तथा अन्य भाईयो से अपने खेत ख.न. 733 में जाने के लिए रास्ता लिया था उसके बदले में अपने खेत ख.न. 743 मे से नजरी नक्सा मे मार्क अ से ब स्थान पर रास्ता अप्रार्थी के दादा व उसके भाईयों को दिया था इसकी एक लिखापढी भी पांच रूपये के स्टाम्प पर दे दी थी। इस स्थान पर आवागमन पूर्व से ही चल रहा था, लेकिन अभी इस वर्ष अप्रार्थी विनोद ने इस रास्ता को खंदक लगाकर बन्द कर दिया था। जो बाद में तहसीलदार साहब तथा उपखण्ड अधिकारी महोदय को आवेदन करने पर उनके आदेश से वापस खुलवाया गया है।

प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी अपने खेत मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 के खेत मे से ही आ जा रहा है परन्तु अप्रार्थी 2 के द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपने खेत मे आने जाने से वंचित हो गया हैं। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपने काश्त करने से वंचित रहने की नोबत आ गई है। ग्राम प्रार्थना पत्र साथ सलग्न नजरी नक्सा मे मार्क अ से ब रास्ता ही सबसे उपयुक्त व नजदीक रास्ता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने, पशुधन को लाने व ले जाने तथा कृषि कार्य के लिए आवश्यक संसाधन लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है तथा कटाणी रास्ता से अपने खेत में आवागमन का सबसे नजदीक यही रास्ता है, जिसे प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अ से ब (ए से बी) दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खेत ग्राम धारणा के खेत ख.न. 741 रकबा 2.7761 हेक्टेयर मे आने जाने तथा कृषि कार्य हेतु संसाधन लान ले जाने के लिऐ अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख.न. 743/889 रकबा 2.77761 हेक्टेयर तथा ख.न. 1162/743 रकबा 1.5783 हेक्टेय मे से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्सा में मार्क अ से ब स्थान पर 15 फिट चौडा रास्ता कायम किया जावे तथा उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री शिवकुमार पराशर ने वकालनामा पेश कर जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 तथा 4 से 6 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह राठोड ने वकालतनामा पेश कर जवाब नही देना चाहते हैं । अप्रार्थी सं. 3 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका

रिपोर्ट दिनांक 30.08.2021 जो तहसीलदार जायल के पत्रांक 3484 दिनांक 1.09.2021 द्वारा प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2021 में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीक कटाणी रास्ता ख.न. 739, 749/889 व 1162/743 की सींव से होकर है। प्रार्थी के खेत तक आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता जो मौका रिपोर्ट हरी स्याही से मार्क ए बी सी अनुसार दर्शाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। ख.न. 1162/743 की उतरी व दक्षिणी सीमा के उपर खाई खुदी हुई है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता तकमीना अनुसार ख.न. 1161/889 मे से 80 X 4.47= 366 व.मीटर भूमि जाति है जिसकी वर्तमान प्रचलित बाजार दर से दोगुना राशि 14557/– रू. बनती है तथा ख.न. 743/889 मे से 110 X 4.47 = 503 व.मीटर भूमि रास्ते मे जाती है जिसकी वर्तमान प्रचलित बाजार दर से दो गुना राशि 19993/– रू बनती हैं।

अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी का कथन गलत है कि अप्रार्थी सं. 2 के खातेदारी खेत ख.न. 1162/743 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर कटाणी रास्ता लगताा हैं परन्तु अप्रार्थी सं. 2 के खेत मे आज तक किसी प्रकार का रास्ता नहीं था और न ही आज तक कभी प्रार्थी अप्रार्थी सं. 2 के खेत में आता जाता रहा है। प्रार्थी का अपने खेत मे आने जाने के लिए ख.न. 739 जिसका खातेदार प्रार्थी के परिवार का ही है, से आता जाता रहा है। ख.न. 1162/743 के पूर्व खातेदार राधाकिशन द्वारा दिनांक 06.09.1991 की गई लिखापढी गैर कानूनी थी। उसको रास्ता बाबत लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मूल खसरा नम्बर 743 का खेत अप्रार्थी सं. 2 के पिता के बंट व काश्त में था। लिखापढी 30 वर्ष पहले की थी लेकिन इस खेत मे से प्रार्थी का आना जाना कभी नहीं रहा है। दिनांक 07.08.2021 को प्रार्थी ने पटवारी हल्का से मिलकर अप्रार्थी की अनुपस्थिति में गलत रास्ता कायम करने की कोशिश की है जिस पर अप्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायलय एवं तहसीलदार जायल के समक्ष एतराज किया था।

प्रार्थी के खेत के लिऐ रास्ता ख.न. 739 मे से ही आने जाने के लिए सुविधाजनक रहता आया है, तथा खेत ख.न. 739 का खातेदारी प्रार्थी के परिवार का ही हैं। इसके अलावा प्रार्थी के लिए पूर्व से एक ओर रास्ता है जो प्रार्थी के लिए सुविधाजनक है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 के खेत मे रास्ता दिया जाना अनुचित व गैर कानूनी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रकरण मे अप्रार्थी से 2 की ओर से जवाब एंव अप्रार्थी सं. 1 व 4 से 6 की ओर से जवाब देना नही चाहने व अप्रार्थी सं. 3 की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे विर्णत उल्लेख की पुनरूक्ति करते हुये कथन किया कि प्रार्थी हमेशा से कटाणी रास्ता ख.न. 748 से फंटकर अप्रार्थी सं. 2 के खेत ख.न. 1162/743 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे आगे चलकर अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न 743/889 मे प्रवेश करके पूर्वी माठ के सहोर सहारे प्रार्थी के खेत तक रास्ते का उपयोग व

उपभोग करता आया है। उक्त रास्ते को अप्रार्थी सं. 2 ने खाई लगाकर अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी अपने खेत मे आने जाने तथा काश्त करसण करने से वंचित हो गया है। रास्ता अवरूद्ध होने से प्रार्थी अपने खेत में काश्त करने के लिए संसाधन आदि भी नहीं ले जा व ला सकता है। उक्त रास्ते बाबत ख.न. 743 के पूर्व खातेदार के द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे लिखापढी भी की हुई है। अतः प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता होने व इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा कभी अप्रार्थी सं. 2 के खेत ख.न. 1162/743 मे से आना जाना नहीं रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के खेत मे कभी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता ख.न. 739 मौजुद है जिससे प्रार्थी अपने खेत मे आता जाता रहा है। प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 2 के खेत मे रास्ता कायम करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता कभी नही रही है। अतः प्रार्थी के खेत ख.न. 741 मे आने जाने हेतु 16 फिट चौडा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया जाकन पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2021 में भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 741 में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता कटाण से होते हुवे खसरा नंबर 721 से होकर , खसरा नंबर 731, 736 , 735 एवं 734 से होते हुवे प्रार्थी के खेत तक आता है जिसे मौका रिपोर्ट में हरी स्याही से दर्शाया गया है इसलिये प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को सिद्व नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से खारिज योग्य है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

16/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी जायल

यह आदेश आज दिनांक 16/05/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

16/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी जायल